Q219 - Design and implement a system that allows online application and payment without the need for a physical touch point for document submission and verification

Response: Compliant at MPCTD

(a) MP Commercial Tax Department has online system for Registration, Document Submission, Application Tracking and Payment Process. (Screenshots attached below).

(b) For CST Registration, which comes under Central Law, a security deposit is required from the Dealer for which a hearing opportunity is being provided to Dealer as per the Law.

(c) For Hearing Process, as per administrative and government order, the hearing done over Email, eliminating need of Physical Presence of the Dealer in CTD office. (**Administrative Order attached**)

Proof / Process :

(a) Online Registration Process: MPCTD Home Portal (https://mptax.mp.gov.in) => E-Services => New Registration => CST Registration

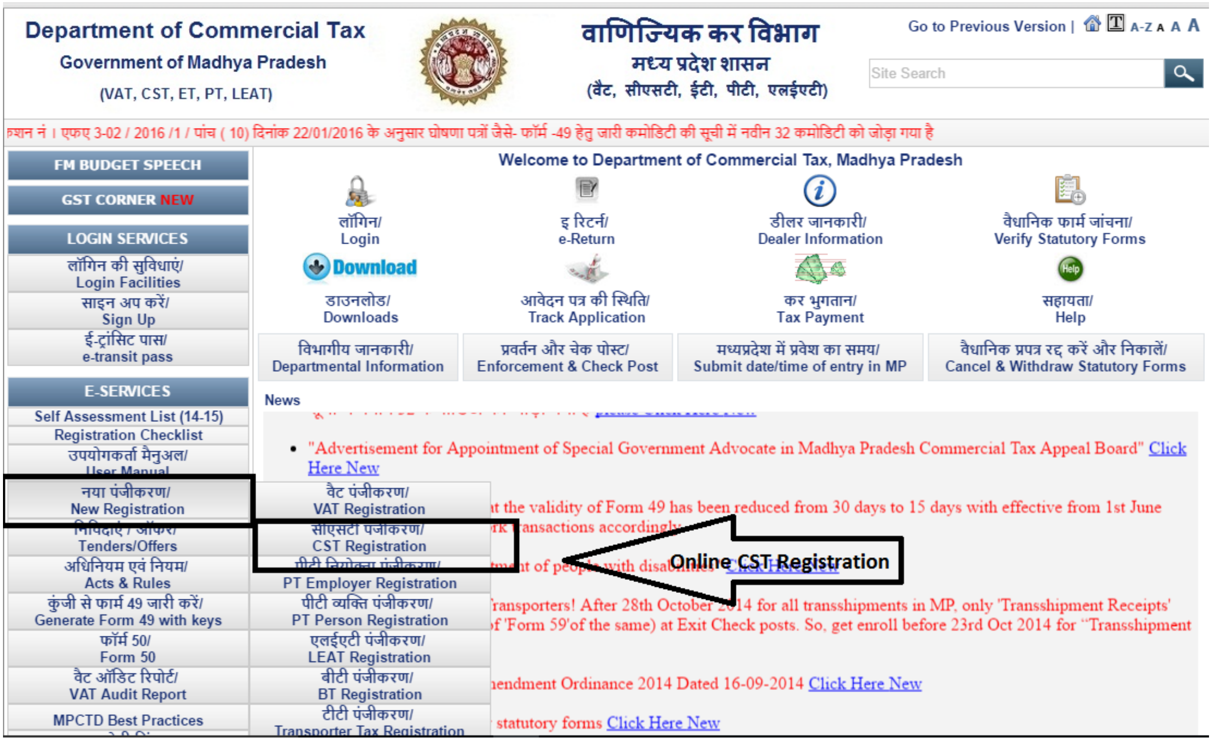

(b) Online Payment System: MPCTD Home Portal (https://mptax.mp.gov.in) => **कर भुगतान /Tax Payment**

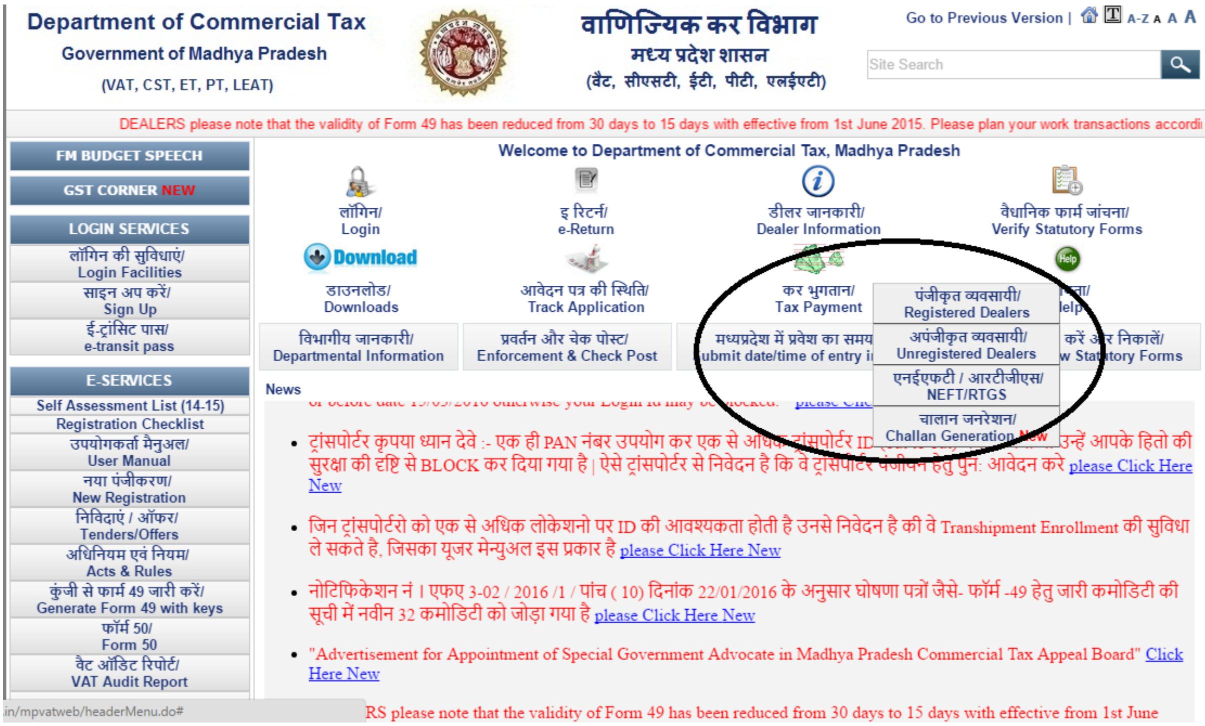

(c) Online Tracking System of Application: MPCTD Home Portal (https://mptax.mp.gov.in) => **Track Application**

Screen Shot 1:

Screen Shot 2:

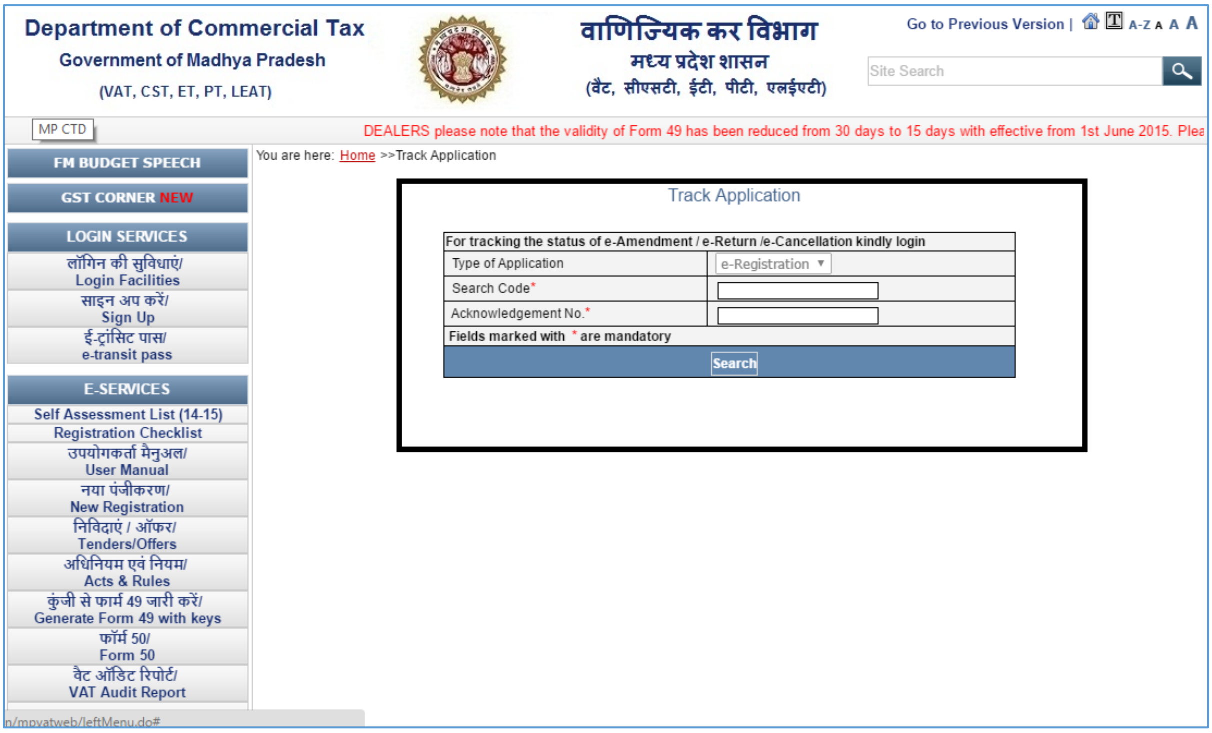

(d) <u>Administrative Order to Conduct of Hearing over Email:</u>

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर

क्रमांक/36/2016–17/30/पंद्रह/321 — इंदौर दिनांक 01 जून, 2016

प्रति,

संचालक,
अपर आयुक्त (समस्त),
उपायुक्त (समस्त),
सहायक आयुक्त (समस्त),
वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

विषय :– केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले व्यवसाईयों से प्रतिभूति लिये जाने की कार्यवाही के संबंध में।

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 मे व्यवसाईयों को पंजीयत किये जाने संबंधी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2A) में प्रावधान है कि यदि पंजीयनकर्ता अधिकारी को आवश्यक प्रतीत होता है तो, वह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व इस अधिनियम के तहत् देय कर के समुचित संग्रहण (proper realisation) के लिए अथवा इस अधिनियम के तहत् व्यवसाई को जारी किये जाने वाले विभिन्न घोषणा पत्रों (जैसे फार्म सी/फार्म एफ/फार्म एच/फार्म ई) के समुचित उपयोग एवं अभिरक्षा (proper custody) के लिए, व्यवसाई को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यवसाई को निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकता है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3A) मे प्रावधान है कि उपधारा (2A) के तहत् पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभूति के अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति की आवश्यकता होने पर पंजीयनकर्ता अधिकारी व्यवसाई को सुनवाई का अवसर देते हुए अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित कर सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पंजीयन प्रदाय करने के पूर्व व्यवसाईयों से प्रतिभूति तथा अतिरिक्त प्रतिभूति लेने संबंधी प्रावधान पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवेकाधीन (discretionary) हैं। अतः प्रतिभूति केवल उन्हीं प्रकरणों में मॉंगी जाये, जहॉं प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। प्रतिभूति लिए जाने का समुचित कारण का उल्लेख पंजीयन प्रकरण तथा व्यवसाई को जारी सूचना पत्र में आवश्यक रूप से किया जाना है। प्रतिभूति की राशि का निर्धारण भी धारा 7 (3BB) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

"ईज ऑफ डुईंग बिजनेस" के दृष्टिगत राज्य शासन से अनुमोदन पश्चात् कार्य पद्धति मे शीघ्रता, सुगमता और पारदर्शिता लाने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि केंद्रीय पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक प्रतीत होने पर इस संबंध मे पंजीयन कर्ता अधिकारी द्वारा व्यवसाई से समस्त पत्राचार (जैसे व्यवसाई को प्रतिभूति निर्धारण सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी करना, व्यवसाई से सूचना पत्र का जवाब प्राप्त करना, प्रतिभूति निर्धारण आदेश व्यवसाई को जारी करना आदि) अनिवार्यतः केवल ई–मेल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किए जाए। प्रतिभूति निर्धारण हेतु व्यवसाई अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी तरह से भौतिक रूप से पंजीयन जारी कर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाए।

उपरोक्त निर्देशों तथा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 36/2016–17/30/पंद्रह/318 इंदौर दिनांक 31.5.2016 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश